न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–307 / 2012

सुरेन्द्र कुमार झा उर्फ सुसिन्द्र झा वगैरह.....वादीगण

बनाम

सुमित्रा देवी वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

19.11.24 अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक–28.06.2024 तथा प्रतिवादी की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–16.08.2024 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने यह निवेदन किया है कि वर्तमान वाद प्रतिवादी द्वारा दिनांक–3.06.2022 को सूचित किया गया कि प्रतिवादी सं0–6 आरती झा की मृत्यु एक वर्ष पूर्व हो चुकी है जिनका एकमात्र उत्तराधिकारी पुत्र संतोष झा वर्तमान वाद में प्रतिवादी सं0–5 हैं।अतः प्रतिवादी सं0–6 आरती झा का नाम वादपत्र से विलोपित करने की कृपा की जाए।

उपरोक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में प्रतिवादीगणों ने यह निवेदन किया है कि वादी का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है एवं खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी सं0–6 की मृत्यु दो वर्ष पूर्व हो चुकी है जिसकी सूचना प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक–1.06.2022 को दिया गया था, परन्तु वादी द्वारा दिनांक–06.03.2023 को प्रतिस्थापन आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिसमें आरती झा के मात्र एक पुत्र का होना बताया गया है जबकि उन्हें दो पुत्री भी थी, जनका नाम ममता देवी पति मोहन कुँवर एवं लक्ष्मी देवी पति उमेश झा है जिसमें से ममता देवी की मृत्यु हो चुकी है और उनका एक पुत्र अमर कुमार एवं उनके पति मोहन झा जीवित है जो उनके विधिक उत्तराकारी हैं जिन लोगों का पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः वादी का आवेदन खारिज खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उभय पक्ष इस तथ्य पर सहमत हैं कि प्रतिवादी सं0–6 की मृत्यु पूर्व में हुई है तथा उनके विधिक उत्तराधिकारी संतोष झा पूर्व से वर्तमान वाद में प्रतिवादी सं0–5 के रूप में प्रतिस्थापित हैं। प्रतिवादी के द्वारा किया गया कथन कि प्रतिवादी सं0–1 के दो पुत्री भी है, जिनका नाम वादी ने अपने आवेदन में अंकित नहीं किया है तो इस संबंध में वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी सं0–6 के पुत्रियों के संबंध में समुचित पहल करें।वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है एवं प्रतिवादी सं0–6 का नाम वादपत्र से विलोपित किया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। तदनुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन स्वीकृत किया जाता है। जहाँ तक मृतक प्रतिवादी के पुत्रियों का प्रश्न है तो जिसका फलाफल वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन पर पड़ेगा। **कार्यालय आवेदनांकित मृत प्रतिवादी सं0–6 का नाम वादपत्र से विलोपित करें तथा** वाद दिनांक–16-12-24 वारते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,

शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।